निर्णय वइजलास सुश्री पूजा मीना(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 58/20
दायरा दिनांक :- 13.07.2020
निर्णय दिनांक :- 5.7.24

उनवान

1. विजयकुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला तहसील व जिला बारां।
2. हंसराज पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. अनारी पुत्री पुरूषोतम पत्नी बलराम जाति धाकड निवासी नागोनिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
2. अयोध्याबाई पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला
3. इन्द्रेश बाई पुत्र रामकरण पत्नी अमृतलाल जाति धाकड़ निवासी बडोरा तहसील अटरू (डिलीट)
4. कंचनबाई पत्नी पुरूषोतम जाति धाकड़ निवासी बामला (मृतक)
5. कन्या पुत्री रामगोपाल (मृतक)
   5/1 चन्द्रप्रकाश पुत्र हरिचरण
   5/2 राजेन्द्र पुत्र हरिचरण
   5/3 सुरेन्द्र पुत्र हरिचरण
   5/4 उर्मिला पुत्री हरिचरण जातियान धाकड निवासी पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड।
6. कलावती पुत्री तेजपाल जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा
7. कांतिबाई पुत्री चन्दालाल जाति धाकड निवासी इकलेरा (डिलीट)
8. गिरिराज पुत्र रामकरण जाति धाकड़ निवासी इकलेरा (डिलीट)
9. धनराज पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी बामला
10. बनवारीलाल पुत्र रामकरण जाति धाकड़ निवासी इकलेरा (डिलीट)
11. नवलबाई पत्नी बनवारीलाल जाति धाकड़ निवासी इकलेरा
12. प्रेमाबाई पुत्री पुरूषोतम पत्नी जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बामला
13. प्रहलाद पुत्र रामप्रताप जाति धाकड निवासी बामला
14. बाबूलाल पुत्र पुरूषोतम जाति धाकड निवासी बामला
15. भगवतीबाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला

उपखण्ड अधिकारी
बारां

तकुमार पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला
लेश पुत्री तेजपाल जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा
भवानीशंकर पुत्र पुरूषोतम जाति धाकड निवासी इकलेरा हाल बामला
9. मुरारीलाल उर्फ रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी बामला
20. योगेश पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला
21. रामकल्याण पुत्र तेजपाल जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा
22. सत्यप्रकाश पुत्र तेजपाल जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा
23. सुरेश पुत्र तेजपाल जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा
24. सुशीला बाई पत्नी हेमराज जाति धाकड निवासी इकलेरा
25. हरिमोहन पुत्र किशनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला (डिलीट)
26. वृहद परवन दांई नहर परियोजना जिला कलेक्ट्रेट बारां
27. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
28. उपपंजीयन अधिकारी, बारां।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट0
निर्णय दिनांक :– 5.7.24

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन – वादी
2 श्री सजंय नागर – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 89,89,53,188 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि ग्राम बामला तहसील बारां की आराजी जमाबंदी सम्मत 2072–75 खाता संख्या नया 564 पुराना 528 की आराजी ख0नं0 1193 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 1194 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 1195 रकबा 0.34 है0 ख0नं0 1203 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 1206 रकबा 1.56 है0, ख0नं0 1207 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1431 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 1433 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1436 रकबा 4.12 है0 कुल 9 किता कुल रकबा 9.46 है0 स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है।

उक्त आराजियात के अतिरिक्त अन्य आराजियात भी वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। जिसके मुताबिक उक्त आराजियात के संदर्भ में बाहमी बंटवारे के अनुसार जो दिनांक 29.05.1996 को लिखा गया है उसके मुताबिक ख0नं0 1203 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 1431 रकबा 0.14 है0,

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

0नं0 1433 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1436 रकबा 4.12 है0 में से 1.85 है0 बाहमी बंटवारे के मुताबिक वादीगण को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार ही बाप दादा के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है जो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में है इसी अनुसार वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपना खाता पृथक करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है।

उक्त आराजियात में प्रतिवादी प्रहलाद प्रति0 क्रम 13 द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर पैसा प्राप्त कर लिया है। किन्तु रामप्रताप का नाम खाते में गलत रूप से अंकित है जिसे वादीगण हटवाकर राजस्व रिकार्ड में निरस्त करा पा सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण के पिता मोहनलाल के जीवनकाल में ही बाहमी बंटवारा हो गया था तथा उसी के अनुसार बाहमी बंटवारे से प्राप्त अपने अपने हिस्से की आराजी परवादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त हो गये जिसके मुताबिक वादीगण को बाहमी बंटवारे के अपने प्राप्त हिस्से को वादीगण द्वारा भुसुधार कर उपजाउ बनाया है किन्तु प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड के अंकन होने के कारण उक्त आराजियात वर्तमान में कीमती होने से बदनीयात आने से वादीगण के नाम बाहमी बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने में आना कानी की जा रही है। इस कारण वादीगण बाहमी बंटवारे एवं पूर्वजों के समय से हुये बंटवारे एवं कब्जे काश्त के अनुसार वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर एवं खाते का विभाजन कर पृथक से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं पृथक लगान निर्धारित कराने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वर्तमान में परवन वृहद परियोजना द्वाई नहर का चल रहा है जिसके मुताबिक उक्त आराजियात में से कुछ आराजियात नहर में अधिग्रहण किया जाकर मुआवजा दिया जाना है किन्तु खाते में प्रतिवादी का नाम होने के कारण मुआवजे का निर्धारित किया जाना संभव नहीं है इसलिये वादीगण मूल वाद का बाहमी बंटवारे अनुसार निर्धारण नहीं होने तक वृहद परवन परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा किसी भी खातेदार को नहीं दिये जाने हेतु भी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी है इसलिये वादपत्र में प्रतिवादी क्रम 26 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 25 से बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने हेतु तहसील बारां में चलने का निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा आना कानी करने व स्पष्ट रूप से दिनांक 20.05.2020 को इंकार करने पर वाद कारण बमुकाम ग्राम बामला में एवं राज. सरकार के प्रतिनिधी के रूप में तहसीलदार बारां से बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी0 का खाता घोषित कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये

उपखण्ड अधिकारी
बारां

ा पर राज0 सरकार के प्रतिनिधी के रूप में धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 5.07.2020 को दिये जाने पर वाद कारण दिनांक 20.05.2020 व 06.07.2020 को अंतिम रूप से उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बामला सम्वत 2072–75 खाता सं0 564 नकल हक त्याग पत्र(रिलीज डीड) दिनांक 14.12.2022 पेश किया गया।

वादी गण एव प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति के आधार पर व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। वादीगण विजय कुमार व हंसराज को आराजी ख0नं0 1206 रकबा 0.08 है0 दक्षिणी, ख0नं0 1203 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 1431 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 1433 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1436 रकबा 1.85 मध्य कुल किता 5 रकबा 3.99 है0 प्रतिवादी कम 4 मृतक कंचनबाई के वारिस प्रतिवादी कम 14 बाबूलाल को ख0नं0 1206 रकबा 0.56 है0 दक्षिणी प्रतिवादी कम 18 भवानीशंकर को ख0नं0 1206 रकबा 0.92 है0 उतरी, ख0नं0 1207 रकबा 0.44 है0 दक्षिणी, ख0नं0 1436 रकबा 0.24 है0 मध्य पश्चिमी कुल किता 3 रकबा 1.60 है0, प्रतिवादी कम 11 नवलबाई व प्रतिवादी व प्रतिवादी कम 24 सुशीलाबाई को ख0नं0 1193 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1194 रकबा 0.22 है0 , ख0नं0 1195 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 1207 रकबा 0.66 है0 उत्तरी कुल किता 4 रकबा 1.28 है0, प्रतिवादी कम 14 बाबूलाल व प्रतिवादी कम 1 अनारीबाई व प्रतिवादी कम 12 प्रेमबाई को संयुक्त रू॰ से प्राप्त होने वाली भूमि ख0नं0 1436 रकबा 0.48 है0 पूर्वी प्रतिवादी कम 2 अयोध्याबाई, प्रतिवादी कम 5 कन्याबाई की मृत्यु होने से उसके वारिस 5/1 चन्द्रप्रकाश, 5/2 राजेन्द्र, 5/3 सुरेन्द्र, 5/4 उर्मिला व प्रतिवादी कम 6 कलावती, प्रतिवादी कम 9 धनराज, प्रतिवादी कम 13 प्रहलाद, प्रतिवादी कम 15 भगवती बाई, प्रतिवादी कम 16 भरत कुमार, प्रतिवादी कम 17 भूलेश प्रतिवादी कम 19 मुरारीलाल, प्रतिवादी कम 20 योगेश कुमार प्रतिवादी कम 21 रामकल्याण, प्रतिवादी कम 22 सत्यप्रकाश व प्रतिवादी कम 23 सुरेश कुमार को ख0नं0 1436 रकबा 1.55 है0 पश्चिमी दिशा की रहेगी मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया किया पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझकर स्वीकार किया गया तथा अपनी सहमति जाहिर की जिसकी पहचान अभिभाषक द्वारा की गई प्रस्तुत राजीनामा सहमति व सन्तुष्टी के आधार पर तस्दीक किया जाकर शा0 नि0 किया गया। वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

:–क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तहसील बारां की आराजी वादीगण विजय कुमार व हंसराज को आराजी ख0नं0 1206 रकबा 0.08 है0 दक्षिणी, ख0नं0 1203 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 1431 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 1433 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1436 रकबा 1.85 मध्य में प्रतिवादी क्रम 14 बाबूलाल को ख0नं0 1206 रकबा 0.56 है0 दक्षिणी प्रतिवादी क्रम 18 भवानीशंकर को ख0नं0 1206 रकबा 0.92 है0 उतरी, ख0नं0 1207 रकबा 0.44 है0 दक्षिणी, ख0नं0 1436 रकबा 0.24 है0 मध्य पश्चिमी, प्रतिवादी क्रम 11 नवलबाई व 24 सुशीलाबाई को ख0नं0 1193 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1194 रकबा 0.22 है0 , ख0नं0 1195 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 1207 रकबा 0.66 है0 उत्तरी, प्रतिवादी क्रम 14 बाबूलाल व प्रतिवादी क्रम 1 अनारीबाई, प्रेमबाई को ख0नं0 1436 रकबा 0.48 है0 पूर्वी प्रतिवादी क्रम 2 अयोध्याबाई, कन्याबाई के वारिसान चन्द्रप्रकाश, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, उर्मिला , कलावती, धनराज, प्रहलाद, भगवती बाई, भरत कुमार, भूलेश, मुरारीलाल, योगेश कुमार, रामकल्याण, सत्यप्रकाश व सुरेश कुमार को ख0नं0 1436 रकबा 1.55 है0 पश्चिमी दिशा की रहेगी। उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

...या 58 / 20	धारा अन्तर्गत 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट,	निर्णय दिनांक : 5.7.24
सुश्री पूजा मीना, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
...स्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री संजय नागर एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. विजयकुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला तहसील व जिला बारां।
2. हंसराज पुत्र श्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. अनारी पुत्री पुरूषोतम पत्नी बलराम जाति धाकड निवासी नागोनिया तहसील खानपुर जिला झालावाड़।
2. अयोध्याबाई पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी बामला

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बामला तहसील बारां की आराजी वादीगण विजय कुमार व हंसराज को आराजी ख0नं0 1206 रकबा 0.08 है0 दक्षिणी, ख0नं0 1203 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 1431 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 1433 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 1436 रकबा 1.85 मध्य में प्रतिवादी कम 14 बाबूलाल को ख0नं0 1206 रकबा 0.56 है0 दक्षिणी प्रतिवादी कम 18 भवानीशंकर को ख0नं0 1206 रकबा 0.92 है0 उतरी, ख0नं0 1207 रकबा 0.44 है0 दक्षिणी, ख0नं0 1436 रकबा 0.24 है0 मध्य पश्चिमी, प्रतिवादी कम 11 नवलबाई व 24 सुशीलाबाई को ख0नं0 1193 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1194 रकबा 0.22 है0 , ख0नं0 1195 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 1207 रकबा 0.66 है0 उत्तरी, प्रतिवादी कम 14 बाबूलाल व प्रतिवादी कम 1 अनारीबाई, प्रेमबाई को ख0नं0 1436 रकबा 0.48 है0 पूर्वी प्रतिवादी कम 2 अयोध्याबाई, कन्याबाई के वारिसान चन्द्रप्रकाश, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, उर्मिला , कलावती, धनराज, प्रहलाद, भगवती बाई, भरत कुमार, भूलेश, मुरारीलाल, योगेश कुमार, रामकल्याण, सत्यप्रकाश व सुरेश कुमार को ख0नं0 1436 रकबा 1.55 है0 पश्चिमी दिशा की रहेगी। उक्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 5.7.24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		